

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 639]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 23, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

सूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 वर्ष 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोरिया	बैकुण्ठपुर	पटना	राजस्व निरीक्षक मण्डल बोडार के पटवारी हल्का नं. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एवं 31 के कुल 20 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल पटना के पटवारी हल्का नं. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एवं 41 के कुल 28 ग्राम। अतः कुल 18 पटवारी हल्के के 48 ग्राम नवीन तहसील “पटना” में शामिल होंगे।	उत्तर — जिला सूरजपुर एवं तहसील सोनहत, जिला— कोरिया दक्षिण — जिला सूरजपुर एवं तहसील बैकुण्ठपुर, जिला— कोरिया पूर्व — जिला सूरजपुर पश्चिम — तहसील बैकुण्ठपुर एवं सोनहत, जिला—कोरिया

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 14th December 2020

NOTICE

No. F 11-01/2019/Seven-4 . — In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tehsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Tehsil	New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koriya	Baikunthpur	Patna	Total 20 villages of Patwari Halka No. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of Revenue Inspector Mandal Bodar. Total 28 villages of Patwari Halka No. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41 of Revenue Inspector Mandal Patna. Hence, total 48 villages of total 18 Patwari Halka shall be included in New Tehsil "Patna".	North— District-Surajpur and Tehsil – Sonhat, District-Koriya. South— District-Surajpur and Tehsil-Baikunthpur, District-Koriya. East – District-Surajpur West – Tehsil Baikunthpur and Sonhat, District-Koriya

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D. DIWAN, Joint Secretary.